सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

23 चैत्र, 1948 (श०)

संख्या - 164 राँची, सोमवार, 13 अप्रैल, 2026 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग,

अधिसूचना

12 मार्च, 2026

संख्या-02/नि0सं0-12-69/2015 का.- 1548--श्रीमती सीमा कुमारी, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-218/20, गृह जिला-राँची), तत्कालीन अंचल अधिकारी, सेन्हा, लोहरदगा सम्प्रति प्रखण्ड विकास पदाधिकरी, जरीडीह (बोकारो) ने W.P.(S) No. 793/2024 में दिनांक 08.08.2024 को पारित न्यायादेश तथा Cont. Case (C) No. 188/2025 में दिनांक 28.11.2025 को पारित अंतरिम आदेश के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या- 18325 (HRMS), दिनांक 02.12.2022 द्वारा अधिरोपित दण्ड को विभागीय संकल्प संख्या-31750 (HRMS), दिनांक 07.07.2025 द्वारा विलोपित किये जाने के फलस्वरूप अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति प्रदान करने हेतु अभ्यावेदन समर्पित किया है ।

2. उल्लेखनीय है कि श्रीमती कुमारी के विरूद्ध सरकारी भूमि का गलत दाखिल खारिज करने संबंधी आरोपों के संबंध में उपायुक्त, लोहरदगा द्वारा प्रपत्र 'क' में आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसके आलोक में विभागीय संकल्प सं0-26946(HRMS), दिनांक 22.11.2019 द्वारा श्रीमती कुमारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई ।

3. श्रीमती कुमारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही लंबित रहने के कारण दिनांक 24.12.2020 को अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति हेतु सम्पन्न विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक में इनके संबंध में समिति द्वारा अनुशंसा मुहरबंद लिफाफा में रखने की प्रक्रिया अपनायी गई ।

4. उपरोक्त विभागीय कार्यवाही में विभागीय संकल्प सं0-18325(HRMS), दिनांक 02.12.2022 द्वारा श्रीमती कुमारी के विरूद्ध "असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक" का दण्ड अधिरोपित किया गया ।

5. उपरोक्त दण्डादेश के विरूद्ध श्रीमती कुमारी के द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में W.P.(S) No. 793/2024 सीमा कुमारी बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य दायर किया गया। उक्त वाद में दिनांक 08.08.2024 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है

"7. Having regard to the aforesaid legal position, the impugned order requires interference. Accordingly, the second show-cause notice dated 17.06.2022 and order of punishment dated 02.12.2022, are hereby, quashed and set aside. The case is remitted back to the disciplinary authority to proceed from the stage of issuing second show-cause notice to the petitioner with regard to its difference of opinion with the enquiry officer and give tentative reason for such disagreement and give delinquent officer an opportunity to represent before it and pass an order strictly in accordance with law and the law laid down by the Hon'ble Apex Court in "Kunj Behari Misra" (Supra).

8. It goes without saying that if the disciplinary authority does not dispose of the entire proceeding within a period of four months from the date of receipt/production of a copy of this order; then the petitioner would be entitled for promotion/any other consequential relief which has been withheld due to this impugned order.

9. The instant writ application stands disposed of in the manner indicated hereinabove."

6. तदोपरांत श्रीमती कुमारी के द्वारा W.P.(S) No. 793/2024 में दिनांक 08.08.2024 को पारित न्यायादेश के अनुपालन हेतु माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में Cont. Case (C)

No. 188/2025 सीमा कुमारी बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य दायर किया गया, जिसमें दिनांक 28.11.2025 को पारित अंतरिम आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है

"Learned counsel for the opposite parties submits that an interlocutory application is ready to be filed; the same is taken on record. I.A No. 16014 of 2025 This interlocutory application has been filed on behalf of opposite party no. 2 seeking 12 weeks further time for complying the order dated 08.08.2024 passed in W.P.(S) No. 793 of 2024. From the averments made in this interlocutory application at paragraph no.6 it is clear that the opposite parties are in the process of compliance of the writ Court's order in true letter and spirit and prays for 12 weeks time for compliance. Accordingly, I.A No. 16014 of 2025 stands allowed. List this case on 20.02.2026 for filing compliance report."

7. W.P.(S) No. 793/2024 में दिनांक 08.08.2024 को पारित न्यायादेश तथा Cont. Case (C) No. 188/2025 में दिनांक 28.11.2025 को पारित अंतरिम आदेश के आलोक में कार्रवाई करते हुए श्रीमती कुमारी के विरूद्ध विभागीय संकल्प संख्या-18325 (HRMS), दिनांक 02.12.2022 द्वारा अधिरोपित दण्ड "असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्वि पर रोक" को विभागीय संकल्प संख्या-31750 (HRMS), दिनांक 07.07.2025 द्वारा विलोपित किया गया।

8. विभागीय संकल्प सं० 6227 दिनांक 20.11.2008 की कण्डिका 2(vi) के अनुसार किसी अनुशासनिक मामले / आपराधिक कार्यवाही, जिसमें सरकारी सेवक के विरूद्ध आरोपों को समाप्त कर दिया जाता है अथवा वापस ले लिया जाता तो पूर्णतः दोषमुक्त होने की स्थिति में उसकी प्रोन्नति की तारीख मुहरबन्द लिफाफ में रखे गए निष्कर्षों के अनुसार उसके लिए निर्धारित क्रमानुसार तथा उस क्रम में उससे ठीक नीचे के कनीय अधिकारी की प्रोन्नति की तारीख के संदर्भ में निर्धारित की जाएगी ।

9. विभागीय कार्यवाही में श्रीमती कुमारी के विरूद्ध अधिरोपित दण्ड को विलोपित किये जाने के फलस्वरूप विभागीय संकल्प सं0-6227, दिनांक 20.11.2008 की कण्डिका 2**(vi)** के आलोक में श्रीमती सीमा कुमारी की प्रोन्नति से संबंधित दिनांक 24.12.2020 को सम्पन्न विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक में संधारित मुहरबंद लिफाफा को दिनांक 20.02.2026 को खोला गया ।

-विभागीय प्रोन्नति समिति की दिनांक 24.12.2020 को सम्पन्न बैठक में समिति द्वारा श्रीमती सीमा कुमारी के संबंध में "प्रोन्नति के योग्य" की अनुशंसा की गई है ।

10. श्रीमती सीमा कुमारी, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-218/20, अनुसूचित जनजाति कोटि) से कनीय श्री कुशलमय केनेथ मुण्डू, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-226/20, अनुसूचित जनजाति कोटि) को

विभागीय अधिसूचना सं0 3539 दिनांक-08.06.2022 द्वारा दिनांक 24.12.2020 के भूतलक्षी प्रभाव से अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति प्रदान की गई है ।

11. अतः श्रीमती सीमा कुमारी, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-218/20, अनुसूचित जनजाति कोटि) को विभागीय अधिसूचना सं0-5084, दिनांक 25.08.2025 द्वारा दिनांक 16.05.2025 के भूतलक्षी प्रभाव से अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में प्रदत्त वैचारिक प्रोन्नति के स्थान पर उनसे कनीय श्री कुशलमय केनेथ मुण्डू, झा०प्र०से०, (कोटि क्रमांक-226/20, अनुसूचित जनजाति कोटि) को अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि (अपुनरीक्षित वेतनमान PB-III 15600-39100 GP-6600, पुनरीक्षित Pay matrix Level - 11) में प्रदत्त प्रोन्नति की तिथि 24.12.2020 के भूतलक्षी प्रभाव से वैचारिक प्रोन्नति प्रदान करते हुए उनके द्वारा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जरीडीह (बोकारो) के धारित पद को अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि (अपुनरीक्षित वेतनमान PB-III 15600-39100 GP-6600, पुनरीक्षित Pay matrix Level - 11) में उत्क्रमित करते हुए उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।

12. झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-58 तथा झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम-74 के आलोक में श्रीमती सीमा कुमारी को प्रदत्त प्रोन्नति का वास्तविक वित्तीय लाभ एवं अन्य सुविधाएँ विभागीय अधिसूचना सं0 5084 दिनांक 25.08.2025 के आलोक में प्रोन्नत पद पर प्रभार ग्रहण की तिथि से देय होगा। उक्त आदेश की शेष कंडिका को विलोपित किया जाता है।

13. यह प्रोन्नति याचिका संख्या WP(S) No. 4357/2020 समीर कच्छप एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य, WP(S) No. 3792/2016 अमरेन्द्र सिंह बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश से प्रभावित होगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टु दोराईबुरु,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 164 - 50